No. 21/1/2023-CS.I(Coord)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(CS.I Division)

2nd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi

Dated: 4th February, 2025

Office Memorandum

Subject: Engagement of consultants in the Ministry of Textiles.

Reference is invited to the OM No. A-42011/26/2023-Estt dated 27.01.2025 received from Ministry of Textiles, on the above mentioned subject. Eligible candidates are invited to submit their applications to the Ministry of Textiles **by 20.02.2025.**

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/Department directly.

Encls: As above

04/02/2025
(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Government of India

To,

The Retired CSS Officers
(Through DoPT's Website)

2736626/2025/CR

25
30/25

स. ए -42011/26/2023-स्था.
भारत सरकार /Government of India
वस्त्र मंत्रालय /Ministry of Textiles
स्थापना अनुभाग /Establishment Section
*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi
27.01.2025

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

Subject: Regarding engagement of one retired person of the rank of Assistant Director/Deputy Director or equivalent rank as 'Consultant' on contract basis in Ministry of Textiles for Hindi Division- inviting applications thereof.

The undersigned is directed to enclose herewith a Vacancy Circular of even no. dated 27.01.2025 with Advertisement No. MOT/2025 for inviting applications from retired persons from Official Language Department of the rank of Assistant Director/Deputy Director or equivalent for the post of 'Consultant' on contract basis in Hindi Division of Ministry of Textiles.

(जयश्री शिवकुमार /Jayashree Sivakumar)
अवर सचिव, भारत सरकार
Under Secretary to the Govt. of India
दूरभाष: 23062256

To,

1. HoD, NIC[with the request to publish the advertisement on the website of Ministry of Textiles].
2. Under Secretary, CS-I Division[Co-ordination], DoPT[with the request to upload the advertisement on their website for wide publicity].
3. All Ministries/Departments/Organisations of Government of India.

US(CS-I)

3/2

SO(C)

विज्ञापन संख्या एमओटी/2025

स. ए - 42011/26/2023-स्था

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

******

उद्योग भवन, नई दिल्ली

21 जनवरी, 2025

रिक्ति परिपत्र

विषय: वस्त्र मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग में अनुबंध के आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा)/उप निदेशक (राजभाषा) या समकक्ष स्तर के हिंदी पृष्ठभूमि वाले एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को 'परामर्शदाता (हिंदी)' के रूप में नियुक्त करने संबंधी।

वस्त्र मंत्रालय, राजभाषा अनुभाग में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु उन सहायक निदेशक (राजभाषा)/उप निदेशक (राजभाषा) या समकक्ष स्तर के हिंदी पृष्ठभूमि वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करता है,जो मंत्रालय/किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय/संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय/केंद्र सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में हिंदी-अंग्रेजी एवं विलोमतः अनुवाद सहित भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य-निष्पादन का पर्याप्त अनुभव हो।

2. अनुबंध की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगे:-

i. दिनांक 01.02.2025 को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. कार्य दिवसों के दौरान सामान्यतः कार्य समय सुबह 09.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। हालाँकि, काम की अनिवार्यता के कारण उन्हें देर तक बैठना पड़ सकता है और शनिवार/रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन भी बुलाया जा सकता है।

iii. वे समय-समय पर संशोधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होंगे और मंत्रालय में 'परामर्शदाता' के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके संज्ञान में आने वाली किसी भी जानकारी/डेटा को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं बताएंगे। ऐसे सभी दस्तावेज सरकार की संपत्ति होंगे।

iv. वे अपने कार्य के लिए या कार्य के दौरान विभाग के लिए एकत्रित किए गए डेटा या सांख्यिकी या कार्यवाही या सूचना के किसी भी भाग का उपयोग, प्रकाशन या किसी तीसरे पक्ष को विभाग की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे।

v. सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 01/0/2017 दिनांक 23.1.2017 और परिपत्र संख्या 08/06/2011 दिनांक 24.6.2011 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वे नैतिक व्यवसाय और व्यावसायिकता के मानदंडों के मद्देनजर इस विभाग में अपनी नियुक्ति के दौरान उनके द्वारा दी गई किसी भी सलाह या किसी भी सेवा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होंगे।

vi. उन्हें हर समय वस्त्र मंत्रालय के हित में कार्य करना होगा तथा पेशेवर निष्ठा के साथ कोई भी सलाह/सेवा प्रदान करनी होगी।

vii. वे इस विभाग में परामर्शदाता के रूप में कार्य करते समय सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, मितव्ययिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

viii. इस प्रकार नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में विभाग के हित के प्रतिकूल किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देंगे और न ही वे संविदागत कार्य की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होंगे।

ix. वस्त्र मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने से पहले परामर्शदाता को उस विभाग से सतर्कता अनुमति (विजीलेंस क्लीयरेंस) प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उसने सेवानिवृति के समय कार्य किया था।

3. <u>पारिश्रमिक और भत्ते :</u> पारिश्रमिक, छुट्टी और भत्ते व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25-2020.ई-IIIए के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे:

3.1 <u>परिलब्धियाँ</u> :- देय मासिक परिलब्धियाँ/पारिश्रमिक अंतिम वेतन के बराबर होगा जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जाएगी + परामर्श शुल्क के रूप में प्रति माह अंतिम पद पर लिए जाने वाले परिवहन भत्ते के बराबर स्थानीय वाहन भत्ता देया होगा। परिलब्धियाँ और पेंशन चयनित व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, इस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

3.1.2 तथापि, परामर्शदाता आधिकारिक ईमेल आईडी, सरकारी पहचान पत्र, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, मानक उपकरण सहित कार्यालय, पुस्तकालय सुविधा आदि के पात्र होंगे।

3.2 <u>भत्ते</u>:- परामर्शदाता किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास सुविधा के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, अगर उन्हें मंत्रालय के आधिकारिक काम के सिलसिले में देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें उसी ग्रेड के नियमित कर्मचारी की भांतिदेय टीए/डीए का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए हैं।

3.3 छुट्टी:- परामर्शदाता को सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी मिलेगी। परामर्शदाता को स्वीकार्य छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अप्रयुक्त छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए आगे बढाया जाएगा और न ही भुनाया जाएगा।

4. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):- परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से स्वीकार्य टीडीएस काटा जाएगा। मांग किए जाने पर संबंधित डीडीओ द्वारा टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

5. परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को पुनर्नियोजन (रिइंप्लोयमेंट) का मामला नहीं माना जाएगा।

6. परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड:

जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:

6.1 सामान्य शर्तें:

i. आवेदक को मंत्रालय/किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय से सहायक निदेशक (राजभाषा)/उप निदेशक (राजभाषा) स्तर या समकक्ष स्तर पर सेवानिवृत्त होना चाहिए;

ii. दिनांक 01.02.2025 को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii. उनके पास **उत्कृष्ट कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर संचालन तथा ई-ऑफिस में काम करने में कुशलता सहित** उत्कृष्ट संचार एवं पारस्परिक कौशल होना चाहिए।

6.2 केवल वे सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (राजभाषा)/उप निदेशक (राजभाषा) ही आवेदन करें, जिनके पास सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 5 वर्षों तक केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय में अंग्रेजी-हिंदी एवं विलोमतः अनुवाद सहित भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य-निष्पादन का पर्याप्त अनुभव हो।

6.3 नियुक्ति की अवधि:

6.3.1. परामर्शदाता के रूप में किसी व्यक्ति की प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद, मंत्रालय की आवश्यकता

और संबंधित परामर्शदाता(ओं) के कार्य-निष्पादन के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति को बढ़ाया जा सकता है।

6.3.2 परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें वस्त्र मंत्रालय में परामर्श अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.3.3. परामर्शदाता की नियुक्ति विशिष्ट जॉब कार्य के लिए अस्थायी (गैर-आधिकारिक) प्रकृति की होगी।

8. चयन की प्रक्रिया:

वस्त्र मंत्रालय में गठित स्क्रीनिंग समिति आवेदनों की जांच करेगी तथा उपरोक्त पैरा 6.1 एवं 6.2 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों तथा साक्षात्कार के आधार पर परामर्शदाता का चयन किया जाएगा।

9. परामर्श अवधि की समाप्ति:

वस्त्र मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए परामर्शदाता की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। हालांकि, परामर्शदाता को पद से इस्तीफा देने से पहले 30 दिन पहले नोटिस देना होगा या उसके बदले में पारिश्रमिक देना होगा।

10. केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी संलग्न प्रारूप में अपने आवेदन पत्र पीपीओ तथा अंतिम पे स्लिप की प्रति के साथ अवर सचिव (प्रशासन) को अधोहस्ताक्षरी के ईमेल jaya.shiva@nic.in के माध्यम से दिनांक 20.02.2025 तक भेज सकते हैं, ईमेल की विषय पंक्ति निम्नानुसार होनी चाहिए:

विज्ञापन संख्या एमओटी/2025

"वस्त्र मंत्रालय में परामर्शदाता (हिंदी) के पद के लिए आवेदन: [अपना नाम डालें]"

अपूर्ण आवेदन पत्र या ई-मेल के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

जयश्री शिवकुमार 27/11/25
(जयश्री शिवकुमार)
अवर सचिव,भारत सरकार
ईमेल: jaya.shiva@nic.in
दूरभाष संख्या 23062256.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
एनआईसी, वस्त्र मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

विज्ञापन संख्या एमओटी/2025

अनुलग्नक-क

विज्ञापन संख्या एमओटी/सी1/2024 के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में परामर्शदाता (हिंदी) के पद के लिए आवेदन

1. पूरा नाम:

2. पिता का नाम:

3. जन्म तिथि:

4. दिनांक 01.02.2025 को आयु:

5. सेवानिवृति की तिथि:

6. कार्यालय जहां सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम बार कार्य किया:

   - कार्यालय का नाम:
   - क्या मुख्य मंत्रालय/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय स्वायत्त निकाय है :

7. अंतिम बार धारित पद का नाम :

8. अंतिम वेतन/पेंशन प्राप्त :

9. अंतिम पद पर प्राप्त परिवहन भता (टीए):

10. आधार नं :

11. मोबाइल नं.:

12. पता :

13. शैक्षणिक योग्यता :

14. ईमेल आईडी :

अनुबंध-क

15. कार्य अनुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें):

मंत्रालय/विभाग	धारित पद	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
		से	तक		

स्थान:

दिनांक:

विज्ञापन संख्या एमओटी/सी1/2024के अंतर्गत परामर्शदाता (हिंदी) के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

- पीपीओ की प्रति
- अंतिम पे स्लिप की प्रति